न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

(2)

मनोज पुत्र श्रीफल, आयु 38 साल जाति गूजर निवासी भोलूपुरा (जहांगीरपुर) तहसील व जिला करौली (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

1. पुष्पेन्द्र उम्र 06 साल
2. समन्दर उम्र 04 साल
3. लक्ष्मी उम्र 14 साल
4. प्रिया उम्र 12 साल
5. पुष्पा उम्र 10 साल
6. पूर्ति उम्र 08 साल
7. मनीषा उम्र 07 साल

(1–2 पुत्रान रामकिशोर; 3–7 पुत्रियान रामकिशोर) जाति गूजर निवासीयान भोलूपुरा (जहांगीरपुर) नावालिग जरिये संरक्षक माता मीरा पत्नी स्व. रामकिशोर जाति गूजर निवासी भोलूपुरा (जहांगीरपुर) तहसील व जिला करौली

8. मीरा पत्नी स्व. रामकिशोर उम्र 45 साल जाति गूजर निवासी भोलूपुरा (जहांगीरपुर) तहसील व जिला करौली (राज.)
9. बलराम उम्र 34 साल
10. अक्षयराम उर्फ अखेराम उम्र 30 साल
11. दिलीप उम्र 28 साल

(9–11) पुत्रांन श्रीफल

12. बदनवाई उम्र 48 साल
13. मस्तो उम्र 34 साल

(12–13) पुत्रीयान श्रीफल

14. धनवन्ती पत्नी स्व. श्रीफल उम्र 70 साल जाति गूजर
सभी जातियान गूजर निवासीयान भोलूपुरा (जहांगीरपुर) तहसील व जिला करौली (राज.)

15. तहसीलदार (भू.अ.) करौली तहसील व जिला करौली (राज.)

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 15.01.2013 वावत नामान्तरकरण संख्या 1110 ग्राम जहांगीरपुर तहसील करौली जिसकी रूह से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, तहत धारा 75 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 27.01.2021

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि नामांतरकरण संख्या 1110 निर्णय दिनांक 15.01.2013 ग्राम जहांगीरपुर तहसील व जिला करौली में अपीलार्थी का नाम मनोज के स्थान पर धनपाल दर्ज हो गया है जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट्स की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार करौली से टिप्पणी तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 15.01.2013 अधिनस्य न्यायालय तहसीलदार करौली रेस्पोडेन्ट नम्बर 15 खिलाफे कानून, रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरवेटेटरी, परिवरिश रेस्पोडेन्टस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। अपीलान्ट को बिना

जिला कलक्टर
करौली

सुनवाई का नोटिस दिये अपीलान्ट को बिना सुने जैर अपील निर्णय पारित किया है जो एकपक्षीय है और निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरण में बिना किसी जांच के मनोज के स्थान पर धनपाल गलत तौर पर दर्ज किया गया है। सजरा को पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच से भी प्रमाणित नहीं कराया गया है। गिरदावर हल्का द्वारा भी कोई जांच सजरा बावत नहीं की है। सारी नामान्तरकरण कार्यवाही एक ही दिन में की गयी है जिससे भी नामान्तरकरण की जांच नहीं होना साबित है। अपीलान्ट का वास्तविक व सही नाम मनोज है और प्रार्थी के समस्त कागजात परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता, पैनकार्ड में नाम मनोज पुत्र श्रीफल दर्ज है। इसलिए जैर अपील नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम धनपाल के स्थान पर मनोज दुरस्त किया जाना न्यायोचित है। जैर अपील नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 01.06.2020 को पटवारी हल्का से नकल जमावंदी सम्वत 2072 से 2075 लेने जाने पर हुयी हैं और दिनांक 02.06.2020 को अपीलान्ट को नकल नामान्तरकरण प्राप्त हुयी है। दिनांक 15.01.2013 से दिनांक 01.06.2020 तक का समय जानकारी अपीलान्ट के अभाव में कन्डौन किये जाने योग्य है जिसके लिऐ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया है। जैर अपील नामान्तरकरण श्रीफल पुत्र धन्नू जाति गूजर निवासी भोलूपुरा के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1341 ग्राम जहांगीरपुर का विरासत नामान्तरकरण संख्या 1110 दिनांक 15.01.2013 को पटवारी हल्का द्वारा भरा गया है। धनपाल पुत्र श्रीफल नाम का कोई पुत्र श्रीफल पुत्र धन्नू का नहीं है। अपीलान्ट मृतक श्रीफल पुत्र धन्नू का पुत्र है इसलिए नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम धनपाल के स्थान पर मनोज दर्ज किया जाना एवं धनपाल का नाम हटाया जाना न्यायोचित है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

रेस्पोण्डेण्ट्स संख्या 1 ता 14 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये।

रेस्पोण्डेण्ट संख्या 15 तहसीलदार करौली ने पत्रांक–एल.आर./2020/4855 दिनांक 29.10.2020 से अवगत करवाया है कि ग्राम जहांगीरपुर में प्रार्थी मनोज पुत्र श्रीफल एवं मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों के समक्ष जांच की गई, उपस्थित अपीलार्थी व ग्रामवासियों ने बताया कि श्रीफल पुत्र छन्नू जाति गुर्जर निवासी भोलूपुरा की मृत्यु लगभग 7 वर्ष पहले हो चुकी है, जिसके नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं होना बताया है, श्रीफल पुत्र छन्नू के वारिस हैं– 1. रामकिशोर पुत्र (फौत), 2. मनोज पुत्र, 3. बलराम पुत्र, 4. अक्षयराम पुत्र, 5. दिलीप पुत्र, 6. बदनवाई पुत्री, 7. मस्तो पुत्री, एवं 8. धनवन्ती पत्नि। उपस्थित ग्रामवासियों व परिवार के लोगों से पूछने पर उन्होंने बताया की धनपाल व मनोज एक ही व्यक्ति का नाम है, मनोज का बोलता नाम धनपाल था, जिसके कारण शिविर में विरासत खोलते समय गलती से मनोज के स्थान पर धनपाल दर्ज हो गया, जबकि उसका वास्ततिक नाम मुताबिक आधार कार्ड, परिचय पत्र, डाइवर लाईसेन्स में मनोज ही सही नाम है।

बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। नामांतरकरण संख्या 1110 निर्णय दिनांक 15.01.2013 ग्राम जहांगीरपुर तहसील करौली जिला करौली में अपीलार्थी का नाम धनपाल पुत्र श्रीफल दर्ज है जबकि अपीलार्थी के समस्त दस्तावेजों यथा मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक पासबुक में अपीलार्थी का नाम मनोज पुत्र श्रीफल दर्ज है। तहसीलदार करौली द्वारा भी अपीलार्थी का नाम मनोज पुत्र श्रीफल बताया है। धनपाल पुत्र श्रीफल, अपीलार्थी का ही बोलता नाम है। धनपाल पुत्र श्रीफल जाति गुर्जर नाम का कोई व्यक्ति ग्राम जहांगीरपुर तहसील करौली में नहीं होना तहसीलदार करौली द्वारा बताया गया है। इससे यह स्पष्ट है धनपाल पुत्र श्रीफल जाति गुर्जर व मनोज पुत्र श्रीफल जाति गुर्जर

जिला कलक्टर
करौली

एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। इसलिये हम अपील अपीलार्थी को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील, अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार करौली द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 1110 निर्णय दिनांक 15.01.2013 ग्राम जहांगीरपुर तहसील व जिला करौली धनपाल पुत्र श्रीफल जाति गुर्जर के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है एवं धनपाल पुत्र श्रीफल जाति गुर्जर के स्थान पर मनोज पुत्र श्रीफल जाति गुर्जर दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली